उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-199/2018/2411/71-1-2018-जी-125/2018
लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2018

<u>अनिवार्यता प्रमाणपत्र</u>

प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर के आवेदन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2018/2033, दिनांक 03.07.2018 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संस्तुति व उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पत्रांक संख्या-4920/18, दिनांक 02.07.2018 द्वारा दी गई अनापत्ति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) 04 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष हेतु), 40 सीटों के साथ सत्र 2018-19 से प्रारम्भ करने की अनुमति एवं अनिवार्यता प्रमाणपत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन निर्गत् किया जाता हैः-

1- कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर में इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों के अनुसार समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

2- संस्था द्वारा प्रवेश, संचालन एवं परीक्षा आदि के संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त की जायेगी तथा परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव,

<u>संख्या-199/2018/2411(1)/71-1-2018-तद्दिनॉक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंन्सिल, नई दिल्ली।
3- कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी/उ0प्र0 नर्सेस एवं मिडवाइव्स काउंसिल, उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
7- प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।